न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 10/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/12)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. अमरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 49 एफ द्वितीय तहसील श्री करणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:-17.01.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- दिनांक : 20.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/07 के मुरब्बा नम्बर 40, 69/23 की कुल 6.250 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में मुरब्वा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/1 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 12 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, कुल 2.201 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/07 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/1 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 12 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, कुल 2.201 हैक्टेयर भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 480 दिनांक 05.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 49 एफ की जमाबंदी संवत 2073-76 खाता सँख्या 7 के मु0न0 40 के किला नम्बर 1/0.228 नहरी, 2/0.228 नहरी, 3/0.228 नहरी, 4/0.228 बारानी , 5/1 का 0.202 बारानी 6 ता 12 (सालम) बारानी, 23 ता 25 (सालम) नहरी = 3.973 हैक्टेयर नहरी एंव 2.201 हैक्टेयर बारानी कुल 6.174 है0 नहरी/बारानी भूमि अमरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज है पटवारी लालबाई की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकवे पर सिंचित फसले ली जा रही है जिसमे नहर द्वारा सिंचाई की जा रही है। कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड श्रीकरणपुर के पत्रांक 1144/19.7.2024 के अनुसार चक 49 एफ द्वितीय के मु0न0 40 में 21 बीघा रकबा मूल रुप से कमाण्ड है। एंव 2 बीघा 7 विस्वा दिनांक 01.04.1984 से अस्थायी रुप से सीसीए में शामील किया गया। इस आकार कुल 21 + 2.06 = 23 बीघा 06 बिस्वा कमाण्ड है। मुताबिक बी-आर रजिस्टर सँख्या 8 ए के पृष्ट सँख्या 21 के अनुसार चक 49 एफ के मु0 न0 40 के 21 बीघा अमीर चन्द अरोडा साकीन देह को आवटित हुयी जो कि जमाबदी संवत 2028 मे किला न0 1/0.228, 2/0.228, 3/0.228, 7 ता 23 (सालम), 25 कुल 5.238 है0 एंव 0.075 है0 गै0 मु0 खाला देवसी बाई बेवा अमीर चन्द के नाम दर्ज है एंव किला न0 4/0.228 बारानी, 5/0.228 बारानी, 6/0.253 बारानी, 24/0.253 नहरी कुल 0.962 है0 अराजी राज दर्ज है। मुताबिक सैल रजिस्टर 7 के पृष्ट सँख्या 80 अनुसार एसडीओ श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक 1653/29.10.1977 से मु0न0 40 का किला न0 4/0.228 बारानी, 5/0.202 बारानी, 6/0.253 बारानी =0.683 है0 बारानी भूमि रुपये 1000/-आति बीघा की दर एंव किला न0 24/0.253 नहरी भूमि रुपये 5000/- प्रति बीघा की दर से कुल 0.683+0.253 = 0.936 है0 नहरी/बारानी भूमि रुपये 7700/-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

रुपए मे आवंटित की हुयी है। अतः 49 एफ जमाबंदी संवत 2073-76 खाता सँख्या 7 में मु0न0 40 का किला न0 4/0.228, 5/0.202 6/0.253 मे से 0.164, 7 ता 12 (सालम) कुल 2.050 है0 बारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आंवटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि के सबध में मु0न0 40 का किला न0 7 ता 12 मूल रुप से आंवटित है एंव किला न0 4/0.228, 5/0. 202 6/0.253 मे से 0.164, (2 बीघा 07 बिस्वा) की 5000-1000 = 4000 गुणा 2.35 = 9400 रुपये जमा करवाये जाने है एंव ब्याज में राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प3(23)उप/2020-1 दिनांक 30.09.2024 अनुसार दिनांक 31.12.2024 तक शत प्रतिशत छुट है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालवाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/07 की प्रति, चक 49 एफ के सीसीए चक प्लान की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालवाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/07 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/1 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 12 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, कुल 2.201 हैक्टेयर भूमि को नहरी दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी लालवाई की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबे पर सिचित फसले ली जा रही है जिसमे नहर द्वारा सिंचाई की जा रही है। कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड श्रीकरणपुर के पत्रांक 1144/19.7. 2024 के अनुसार चक 49 एफ द्वितीय के मु0न0 40 में 21 बीघा रकबा मूल रुप से कमाण्ड है। एंव 2 बीघा 7 बिस्वा दिनांक 01.04.1984 से अस्थायी रुप से सीसीए में शामील किया गया। इस आकार कुल 21 + 2.06 = 23 बीघा 06 बिस्वा कमाण्ड है। मुताबिक बी-आर रजिस्टर सँख्या 8 ए के पृष्ठ सँख्या 21 के अनुसार चक 49 एफ के मु0 न0 40 के 21 बीघा अमीर चन्द अरोडा साकीन देह को आवटित हुयी जो कि जमाबदी संवत 2028 मे किला न0 1/0.228, 2/0.228, 3/0.228, 7 ता 23 (सालम), 25 कुल 5.238 है0 एंव 0.075 है0 गै0 मु0 खाला देवसी बाई बेवा अमीर चन्द के नाम दर्ज है एंव किला न0 4/0.228 बारानी, 5/0. 228 बारानी, 6/0.253 बारानी, 24/0.253 नहरी कुल 0.962 है0 अराजी राज दर्ज है। मुताबिक सैल रजिस्टर 7 के पृष्ठ सँख्या 80 अनुसार एसडीओ श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक 1653/29.10.1977 से मु0न0 40 का किला न0 4/0.228 बारानी, 5/0.202 बारानी, 6/0. 253 बारानी =0.683 है0 बारानी भूमि रुपये 1000/-आति बीघा की दर एंव किला न0 24/0. 253 नहरी भूमि रुपये 5000/- प्रति बीघा की दर से कुल 0.683+0.253 = 0.936 है0 नहरी/बारानी भूमि रुपये 7700/- रुपए मे आवंटित की हुयी है। अतः 49 एफ जमाबंदी संवत 2073-76 खाता सँख्या 7 में मु0न0 40 का किला न0 4/0.228, 5/0.202 6/0.253 मे से 0.164, 7 ता 12 (सालम) कुल 2.050 है0 बारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र, वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अमरजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए
प्रकरण संख्या /2024

-ःआदेशः-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालवाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/07 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/1 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 12 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, कुल 2.201 हैक्टेयर भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की अन्तरराशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

अमरजीत सिंह वनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए
मुकदमा नम्बर 10/2025
निर्णय दिनांक :-20.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/07 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/1 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 12 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, कुल 2.201 हैक्टेयर भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की अन्तरराशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेप अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 20.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**02**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2025/37 दिनांकः20.01.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर